भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *175
गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

बेरोजगारी दर

***175. डा. अशोक कुमार मित्तलः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी की वार्षिक औसत दर क्या रही है;

(ख) सरकार द्वारा बेरोजगारी की नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की देश के युवाओं को बेरोजगारी लाभ/भत्ता देने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बेरोजगारी के नवीन राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और सरकार द्वारा पंजाब राज्य में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
**

"बेरोजगारी दर" के संबंध में डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 22 -12-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *175 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े वर्ष **2017-18** से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष **15** वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.8%, 4.8% एवं **4.2%** थी जो कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष **15** वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

युवाओं को बेरोजगारी लाभ/भत्ता देने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हैं। ईएसआई निगम ने अपने बीमित व्यक्तियों को जो फैक्ट्री/प्रतिष्ठान बंद होने, छटनी या बेरोजगारी से उत्पन्न चोट के कारण 40% और इससे अधिक होने वाली स्थायी अशक्तता के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हो गए थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सीय देखभाल के साथ-साथ व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक **0**1 अप्रैल, 2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) की शुरुआत की गई थी। पात्रता मानदंड के अनुसार, दो साल का बेरोजगारी भत्ता 0-12 महीने के दौरान वेतन का 50% और 13-24 महीने के दौरान वेतन का 25% के रूप में प्रदान किया जाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत दिनांक 28.11.2022 तक पंजाब में, 1.7 लाख लाभार्थियों को 273.01 करोड़ रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत पंजाब में, 47.2 हजार ऋण वितरित किए गए हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए। पंजाब में, इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान (दिनांक 25.11.2022 तक) स्वीकृत **6.23** लाख ऋण खातों में 5,454.31 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर **5** वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 22.12.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *175 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	5.3	4.7	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	7.7	6.7	5.7
3	असम	6.7	7.9	4.1
4	बिहार	9.8	5.1	4.6
5	छत्तीसगढ	2.4	3.3	2.5
6	दिल्ली	10.4	8.6	6.3
7	गोवा	8.7	8.1	10.5
8	गुजरात	3.2	2.0	2.2
9	हरियाणा	9.3	6.4	6.3
10	हिमाचल प्रदेश	5.1	3.7	3.3
11	झारखंड	5.2	4.2	3.1
12	कर्नाटक	3.6	4.2	2.7
13	केरल	9.0	10	10.1
14	मध्य प्रदेश	3.5	3.0	1.9
15	महाराष्ट्र	5.0	3.2	3.7
16	मणिपुर	9.4	9.5	5.6
17	मेघालय	2.7	2.7	1.7
18	मिजोरम	7.0	5.7	3.5
19	नागालैंड	17.4	25.7	19.2
20	ओडिशा	7.0	6.2	5.3
21	पंजाब	7.4	7.3	6.2
22	राजस्थान	5.7	4.5	4.7
23	सिक्किम	3.1	2.2	1.1
24	तमिलनाडु	6.6	5.3	5.2
25	तेलंगाना	8.3	7.0	4.9
26	त्रिपुरा	10.0	3.2	3.2
27	उत्तराखंड	8.9	7.1	6.9
28	उत्तर प्रदेश	5.7	4.4	4.2
29	पश्चिम बंगाल	3.8	4.6	3.5
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.5	12.6	9.1
31	चंडीगढ़	7.3	6.3	7.1
32	दादरा और नगर हवेली	1.5	3.0	4.2
33	दमन और दीव	0	2.9	
34	जम्मू और कश्मीर	5.1	6.7	5.9
35	लद्दाख	-	0.1	2.9
36	लक्षद्वीप	31.6	13.7	13.4
37	पुडुचेरी	8.3	7.6	6.7
अखिल भारत		**5.8**	**4.8**	**4.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई